

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-07/2013 (खण्ड-1)- /कृ०, पटना, दिनांक2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुनिल कुमार सिंह,
मेसर्स एस० सी० जॉनसन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०,
ऑपोजिट हेवी इस्पात,
शितला माता मंदिर रोड़, छोटी पहाड़ी,
अगमकुँआ, पटना-07

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-69 दिनांक 19.03.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं संशोधित नियम 2015 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित सूचीनुसार अनुज्ञप्ति संख्या 69 दिनांक 19.03.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कम्पनी/विनिर्माण ईकाई का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम	सीआईबीओ रजिस्ट्रेशन न०
1	मेसर्स ऐरो इन्डस्ट्रीज 228, प्रगति इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लोवर परेल (पूर्वी) मुम्बई-400011	i	Transfluthrin 12% AE	CIR-131783/2015- Transfluthrin (AE)(360)-119

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स एस० सी० जॉनसन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ऑपोजिट हेवी इस्पात, शितला माता मंदिर रोड़, छोटी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना-07

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 17/11/2016

ज्ञापांक

4766

प्रतिलिपि-(1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।